राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक : एफ.7(6)सीटीएडी / आरटीआई / 2005 / परिपत्र / 2012 / 13895-955 दिनांक : 19-06-2014

आदेश

गृह (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.9 / 23 / गृह–5 / 2005 दिनांक 3.10.05 एवं गृह (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(25)गृह–6 / 2006 दिनांक 3.5.2007 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ.7(6)सीटीएडी / आरटीआई / 2005 / परिपत्र / 2012 / 25199–258 दिनांक 24.8.12 को अतिक्रमित करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1)(2) के अन्तर्गत निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त किये जाते है :–

क.सं.	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2	कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
3	कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर	परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
4	कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा	परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
5	कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ	परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
6	कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड	परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
7	कार्यालय परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद जिला बारां	अतिरिक्त कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

अनुसूचित क्षेत्र हेतु अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर व गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

शासन सचिव, गृह (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9 / 23 / जीआर–5 / 2005 दिनांक 12.10.2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रार्थना पत्रों पर 10 / – रूपये शुल्क देय होगा, जिसे प्रार्थी द्वारा नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा कराया जा सकेगा। प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

(अ) प्राप्त होने वाले समस्त प्रार्थना पत्र अलग से सधारित की जाने वाली आवक पंजिका में दर्ज किये जाकर प्रार्थना पत्रों पर क्रमांक एवं दिनांक अंकित किये जायेंगे तथा सूचना उपलब्ध कराने की तिथि का अंकन भी किया जायेगा। यह सूचना आवेदक को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–2424750
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

(ब) यदि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र शुल्क 10 रूपये नकद रूप में जमा कराया जाता है तो ऐसी राशि नकद प्राप्त की जाकर प्राप्ति स्वरूप रसीद जीए 55 में जारी की जायेगी तथा प्राप्त होने वाली राशि का नियमानुसार लेखा संधारण किया जायेगा। यदि आवेदक बैंकर चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से 10 रूपये फीस जमा करा रहा है तो बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया जाकर आवेदक के प्रार्थना पत्र की द्वितीय प्रति पर प्रार्थना पत्र की रसीद दी जावे।

(स) सूचना उपलब्ध कराने वाले समस्त अधिकारीगण अपने कार्यालय में एक गोल सील बनवायेंगे जिसमें निम्नानुसार अंकन होगा :-

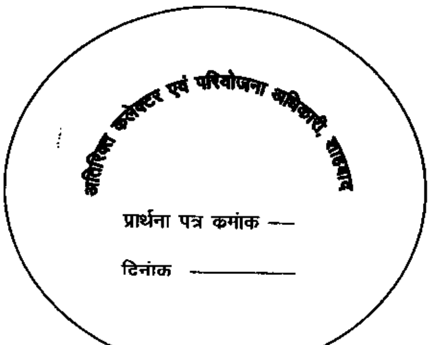

उपरोक्त सील 10 रूपये नकद जमा कराने वाले प्रार्थी को जीए 55 के प्रपत्र में दी जाने वाली रसीद पर लगा दी जावे तथा उस पर कमांक एवं दिनांक अंकित की जावे।

(द) तथा ऐसे आवेदक जो शुल्क की राशि रूपये 10 तो बैंकर चैक/ड्राफ्ट से जमा करा रहे है उनके आवेदन पत्र की दूसरी प्रति पर उपरोक्त कमांक/दिनांक की सील लगा दी जावे जो आवेदक की रसीद का कार्य करेगी।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना पर निम्नानुसार शुल्क नकद रूप में अथवा तो बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना आवश्यक होगा जिसका लेखा संधारण उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 (स) एवं 1 (द) में वर्णित प्रकिया अनुसार किय जायेगा :-

(अ) प्रत्येक पेज साईज (ए-4 अथवा ए-3) के लिये 2/- रूपया प्रति पेज
(ब) उपरोक्त उल्लेखित साईज के अलावा प्रति पेज दर वास्तविक लागत अनुसार
(स) प्रत्येक नमूने अथवा मोडल के लिये दर वास्तविक लागत अनुसार
(द) रिकार्ड निरीक्षण के लिये प्रथम एक घंटे हेतु कोई शुल्क नही लिया जाना है इसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट एवं इसके भाग हेतु 5 रूपये प्रति 15 मिनट

सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 फेक्स : 0294-2424750
ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

(य) यदि सूचना फ्लोपी/डिस्केट में उपलब्ध कराई जा रही है तो प्रति फ्लोपी/डिस्केट की दर 50 रूपये होगी।

(र) यदि सूचना मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध कराई जा रही है तो प्रकाशन के लिये इस हेतु निर्धारित दर अथवा 2/– प्रति प्रकाशित पेज फोटो कोपी का वसूल होगा।

3. समस्त लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार नियम 2006 के प्रावधान तथा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों अधिसूचनाओं, परिपत्रों का पूर्ण अध्ययन कर इन प्रावधानों की पालना प्रभावी रूप से लागू करना सुनिश्चित करें।

ह०/
आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

13895-955
प्रतिलिपि सूचनार्थ :– 19-06-2014

1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, (गृह (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
3. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
4. वैयक्तिक सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर
6. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
8. अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
9. अतिरिक्त कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)
11. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/आबूरोड
12. समस्त शाखा प्रभारी, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–2424750
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

--